

of the financial year 1962-63 for the purposes of Railways."

The motion was adopted.

Shri Swaran Singh: I introduce† so the Bill.

12.11½ hrs.

APPROPRIATION (No. 4) BILL

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1962-63, be taken into consideration."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1962-63 be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

Shri B. R. Bhagat: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12-12½ hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS)
NO. 4 BILL

The Minister of Railways (Shri Swaran Singh): I beg to move:*

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1962-63 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1962-63 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

The motion was adopted.

श्री बागड़ी (हिसार) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर । कल मैं ने एक रिजोल्यूशन मूव किया था नकली दवाइयों के बारे में, और उसका एक कायदा है कि जब तक मूवर जवाब न दे उस वक्त तक वह बहस खत्म नहीं होती । मैंने कल जवाब के लिये टाइम मांगा था लेकिन मुझे जवाब देने का वक्त नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : ऑर्डर , ऑर्डर । जो चीज हमारे सामने है उसके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बागड़ी : कल जो मैंने रिजोल्यूशन रखा था उसमें कायदे का उल्लंघन हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : वह बात आप और किसी वक्त कह सकते थे । अभी जो चीज ली जा रही है पहले उसको तो खत्म होने दीजिये । दरम्यान में इसको कैसे लिया जा सकता है ?

श्री बागड़ी : इसके खत्म होने के बाद ?

†Introduced/moved with the recommendation of the President.

*Moved with the recommendation of the President.

अध्यक्ष महोदय : यह मैं ने नहीं कहा

श्री बागड़ी : मैं ने पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले इसे खत्म करें या जो पहले बिजनैस हाथ में है उसको लें ।

Mr. Speaker: We take up the Bill clause by clause.

The question is:

"That clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

Shri Swaran Singh: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.14 hrs.

RE: POINT OF ORDER

श्री बागड़ी (हिसार) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर । लोक सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम संख्या ३५८ के उप नियम (३) में दिया हुआ है :

"कोई सदस्य, जिसने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में पुनः बोल सकेगा, और यदि प्रस्ताव किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो सम्बन्धित मन्त्री, अध्यक्ष की अनुमति से (चाहे वह वाद-विवाद में पहले बोल चुका हो या नहीं) प्रस्तावक के उत्तर देने के बाद बोल सकेगा ।"

और नियम ३५८ में दिया गया है :

"नियम ३५८ के के उपनियम (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद-विवाद सब अवस्थाओं में मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक के उत्तर देने पर समाप्त हो जाएगा ।"

इसके तहत मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिला हालांकि मैंने कहा था कि मुझे जवाब देने का समय दिया जाए, लेकिन हाउस एडजर्न कर दिया गया । इसलिये मैं चाहता हूँ कि मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : उसकी वहस जब चल रही थी उस वक्त आप उठे थे यह बात ठीक है । लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने लिखा है कि डिस्कशन इज ओवर यानी वहस खत्म हो गयी । उनका फैसला काबिले पाबंदी है । मैं कोई अदालत अपील नहीं हूँ जो उनके फैसले को हटा सकूँ । अगर कोई सवाल मेरे वक्त में उठेगा तो उस वक्त मैं उस पर गौर करूँगा । मैं इसमें दखल नहीं दे सकता क्योंकि मैं उनके ऊपर आला अफसर नहीं हूँ कि जो उन्होंने खस हालात में फैसला दिया है उसमें मैं तब-दली ला सकूँ ।

श्री बागड़ी : लेकिन कानून तो स्पष्ट है । दो और दो चार होगा पांच नहीं हो सकता ।

अध्यक्ष महोदय : जिससे आप अपील करना चाहते हैं उसको अस्तित्थार न हो तो क्या किया जा सकता है ?

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ । इस वक्त चर्चा इस बात की है कि अगर कोई प्रस्ताव पेश किया गया हो और उस पर बहस हो तो प्रस्ताव पेश करने वाले को जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए । परन्तु कल जो बहस चली थी उसमें माननीय सदस्य ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा था, सिर्फ बहस शुरू की थी और बहस हो गयी । बहस को शुरू करने के साथ-साथ